*HEAD-QUARTERS OFFICE*
*EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION*
*PANCHDEEP BHAWAN :C.I.G MARG: NEW DELHI*
**( ISO 9001:2008 CERTIFIED )**
***email: jd-admin2@esic.nic.in***

**No. F-16/13/2011-EVI-Vol.I** **Dated :** 3-2-2011

# MEMORANDUM

**Subject:** **Statement of Scrutiny of Expenditure against allotment of funds for the year 2010-11.**

Regional Directors/Jt.Directors (I/C) etc. are informed that as per para 446 and 450 of the Manual of Audit & Accounts Vol-I the re-appropriation of funds position for the year 2010-11 in respect of 2-Administrative Expenditure is required to be submitted to the Director General for final re-appropriation orders before **31/03/2011 positively** and extension beyond this date is not allowed in any circumstances. In view of this the work of scrutiny of Expenditure for the year 2010-11 may please be taken in hand immediately so that the statement of scrutiny of expenditure is sent to Hqrs. office by the date as prescribed.

In this connection, it is emphasized that statement should be prepared under the budget Heads and not under the Accounts heads. Sufficient care should also be exercised in giving estimates of expenditure for the month of March'2011 so that there may be no scope for abnormal savings/surrender and variation etc., after close of the financial year. The estimates should not be prepared on adhoc or proportionate basis, but taking into accounts of definite items of expenditure, which are to be incurred during the month of March 2011.

The R.Ds etc are requested to personally ensure that the instructions in regard for preparation of the said statement are carefully read and followed while preparing the statement to be forwarded to this office so as to reach this office latest by **5th March positively**.

It is also intimated that if the reply from your region is not received positively upto **5th March' 2011**, the Revised allotment of funds will be treated as final. This date shall not be extended under any circumstances.

**The receipt of this Memorandum may please be acknowledged.**

**( SUNIL TANEJA )**
**JOINT DIRECTOR**

To

1. **All Regional Directors/Director, SRO, Pune/Jt.Directors (I/C), SROs / NTA, Rohini, Delhi.**
2. **All Jt. Directors (Finance)/Dy. Directors (Finance)**
3. **All Branches at Hqrs. Office for necessary action.**
4. **Joint Director (Systems), Hqrs. Office for placing in the website.**

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली
आई.एस.ओ.9001-2008 (क्यू.एम.एस.) द्वारा प्रमाणित

संख्या:एफ-16/13/2011-स्था.6 दिनांक: 3-2-2011

## ज्ञा प न

विषय: वर्ष 2010-11 के लिए आबंटित निधियों के अनुसार व्यय की संवीक्षा संबंधित विवरण ।

क्षेत्रीय निदेशकों/ प्रभारी संयुक्त निदेशकों आदि को सूचित किया जाता है कि लेखा परीक्षा नियम पुस्तक खंड-1 के पैरा 446 व 450 के अनुसार वर्ष 2010-11 के दौरान किए गए 2-प्रशासनिक व्यय के बारे में निधियों की पुनर्वियोजन स्थिति का ब्योरा महानिदेशक महोदय के समक्ष अन्तिम रूप से किए जाने वाले पुनर्विनियोजन हेतु 31.03.2011 से पूर्व प्रस्तुत करना अपेक्षित है और इस तारीख को किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता । वर्ष 2010-11 की व्यय संवीक्षा के कार्य को ध्यान में रखते हुए इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि निर्धारित तारीख तक मुख्यालय में व्यय संवीक्षा संबंधित विवरण पहुंच जाए ।

इस संबंध में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि विवरण बजट शीर्षों के अधीन ही तैयार किया जाए, लेखा शीर्षों के अधीन नहीं । मार्च, 2011 के अनुमानित व्यय का विवरण देते समय पर्याप्त सावधानी बरती जाए ताकि वित्तीय वर्ष के समापन पर असामान्य बचत/ अभ्यर्पण और भिन्नता आदि की कोई गुंजाइश न रहने पाए । अनुमानित राशि का निर्धारण तदर्थ अथवा अनुपातिक आधार पर न किया जाए बल्कि व्यय की निश्चित मदों को ध्यान में रखकर ही निर्धारित किया जाए जिनके अंतर्गत मार्च, 2011 के दौरान खर्च करना है ।

क्षेत्रीय निदेशक आदि से अनुरोध है कि वे व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें कि उक्त विवरण तैयार करते समय इन अनुदेशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाए और तैयार किए गए विवरण को इस प्रकार प्रेषित किया जाए कि इस कार्यालय में यह विवरण हर हालत में 5 मार्च, 2011 तक पहुँच जाएं ।

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आपके कार्यालय की ओर से 5 मार्च, 2011 तक निश्चित रूप से उक्त विवरण इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होता तो निधियों के परिशोधित आबंटन को ही अंतिम माना जाएगा । किसी भी स्थिति में यह तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी ।

इस ज्ञापन की कृपया पावती भेजें ।

(सुनील तनेजा)
संयुक्त निदेशक

सेवा में,

1. सभी क्षेत्रीय निदेशक/ निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे/ प्रभारी संयुक्त निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय/ एन.टी.ए. रोहिणी, दिल्ली ।
2. सभी संयुक्त निदेशक (वित्त)/ उप निदेशक (वित्त)
3. मुख्यालय की सभी शाखाओं को आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
4. स. निदेशक (प्रणाली), मुख्यालय - वेबसाइट पर प्रेषित हेतु ।